हरियाणा विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

दिसंबर 2023

कार्य सूची

15 दिसम्बर 2023

1. **<u>शोक प्रस्ताव</u>**।

(1) **एक मंत्री स्वर्गीयः-**

1. प्रोफेसर छत्तर सिंह चौहान, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष;
2. डॉ0 राम प्रकाश, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री;
3. हरियाणा के शहीद;
4. अन्य

के देहावसान का उल्लेख करेंगे।

2. **<u>प्रश्न</u>**।

(1) पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

3. **<u>कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट</u>**।

(1) **अध्यक्ष** विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।

समिति के एक सदस्य प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

4. **शून्य काल**।

5. **सरकारी संकल्प ।**

(1) **मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि-** " यद्यपि हरियाणा राज्य 1 नवम्बर, 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन हरियाणा की पावन धरा पूर्व-वैदिक काल से ही गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का केंद्र

रही है। आज हरियाणा प्रदेश की पहचान भारत के अग्रणी राज्यों में होती है। हरियाणा के लोगों ने सदैव देश की रक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

2. यद्यपि हरियाणा का अपना राज्य-चिह्न है, लेकिन प्रदेश का कोई राज्य-गीत नहीं है, जो इसके इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो और जिसमें इसके लोगों के गुण और योगदान समाविष्ट हों। एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणवियों को उनकी जाति, लिंग धर्म या आर्थिक स्थिति से इतर, उन्हें एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा।3. हमारे पास तीन विकल्प हैं, जिन्हें इस माननीय सदन के समक्ष राज्य गीत के रूप में विचारार्थ रखा जा रहा है। इन विकल्पों का चयन एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। इसमें समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जनता से गीत आमंत्रित किये गये थे। इसके जवाब में 204 प्रविष्टियां मिलीं, जिनमें से इन 3 का चयन किया गया है। मैं राज्य गीत का चयन करने में इस माननीय सदन का समर्थन चाहता हूं। मुझे आशा है कि यह गीत इस सदन की और राज्य के लोगों, जिनका हम सभी प्रतिनिधित्व करते हैं, की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करेगा।4. मैं इन तीन विकल्पों को आपके विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं और आपकी राय चाहता हूं कि इन तीन विकल्पों में से किस गीत को प्रारंभ में आज से एक साल की अवधि के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाए।''

6. ध्यानाकर्षण सूचना।

(1)

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-10 जिसकी सूचना-(i) **श्री वरुण चौधरी, एम.एल.ए.**, (ii) **श्री अमित सिहाग, एम.एल.ए.**,(iii) **श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.** द्वारा दी गई है	जुलाई, 2023 में भारी बारिश के कारण बाढ़ तथा जल भराव के कारण हुए नुकसान का मुआवजा न मिलने से संबंधित।
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-24 श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-54 श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

7. <u>नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र।</u>

(1)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 06/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(2)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 07/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(3)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 08/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(4) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 09/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(5) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 10/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(6) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 11/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(7) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 12/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(8) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 13/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(9) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 14/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(10) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 15/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(11) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 16/जी.एस.टी-2, दिनांकित 9 मई, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(12) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 17/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 मई, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(13) एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 33/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 जुलाई, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(14)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 34/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 जुलाई, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(15)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 35/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 जुलाई, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(16)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 36/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 जुलाई, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(17)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 37/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 जुलाई, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(18)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 38/जी.एस.टी-2, दिनांकित 07 अगस्त, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(19)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 39/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(20)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 40/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(21)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 41/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(22)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 42/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(23)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 43/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 अगस्त, 2023 मेज पर रखेंगे।

(24)

एकमंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 अगस्त, 2023 मेज पर रखेंगे।

(25)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 45/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 अगस्त, 2023 मेज पर रखेंगे।

(26)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 46/जी.एस.टी-2, दिनांकित 14 सितम्बर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(27)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 47/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 सितम्बर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(28)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 48/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 सितम्बर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(29)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 49/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 सितम्बर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(30)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 50/जी.एस.टी-2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(31)

एकमंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/जी.एस.टी-2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(32)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 52/जी.एस.टी-2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(33)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 53/जी.एस.टी-2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(34)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 54/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(35)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 55/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(36)

एक हरियाणा मालऔर सेवाकर अधिनियम, 2017 कीधारा166 के अधीनकी गई अपेक्षाके अनुसार आबकारीएवं कराधान मंत्री विभागअधिसूचना संख्या 56/जी.एस.टी-2, दिनांकित20 अक्तूबर, 2023 मेजपर रखेंगे।

(37)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 57/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(38)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 58/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(39)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 59/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(40)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 60/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(41)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 61/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(42)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 62/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(43)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 63/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 अक्तूबर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(44)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 64/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 अक्तूबर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(45)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 65/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 अक्तूबर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(46)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 66/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 अक्तूबर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(47)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 67/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(48)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 68/जी.एस.टी-2, दिनांकित 15 नवम्बर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(49)

एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या 69/जी.एस.टी-2, दिनांकित 23 नवम्बर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(50)

एक बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार ऊर्जा विभाग अधिसूचना/विनियम संख्या मंत्री एच.ई.आर.सी./46/2019/तृतीय संशोधन/2023 दिनांकित 12 अप्रैल, 2023 मेज पर रखेंगे।

(51)

एक बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार ऊर्जा विभाग अधिसूचना/विनियम संख्या मंत्री एच.ई.आर.सी./48/2020/द्वितीय संशोधन/2023 दिनांकित 1 मई, 2023 मेज पर रखेंगे।

(52)

एक बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार ऊर्जा विभाग अधिसूचना/विनियम संख्या मंत्री एच.ई.आर.सी./59/2023 दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर रखेंगे।

(53)

एक बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) तथा 105 (1) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा मंत्री वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हरियाणा विद्युत् विनियामक आयोग, पंचकूला की 20 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(54)

एक मंत्री — कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(55)

एक मंत्री — हरियाणा तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 39(3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(56)

एक मंत्री — कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395(1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(57)

वित्त मंत्री — भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड-2 के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2022-2023 के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखों (भाग-1 तथा 2) को मेज पर रखेंगे।

(58)

वित्त मंत्री — भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड-2 के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2022-2023 के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग लेखें मेज पर रखेंगे ।

8. <u>विशेषाधिकार मामलों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना</u>

(1)

विशेषाधिकार समिति के चेयरपर्सन — मैं, श्री जोगी राम, एम.एल.ए और श्री अनूप धानक, एम.एल.ए द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2023 को श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए के विरुद्ध दी गई निम्नलिखित सूचना अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न सम्बन्धी विशेषाधिकार समिति की दूसरी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूं कि :-

"श्री अभय सिंह चौटाला ने हिसार हवाई अड्डे के निकट/उद्देश्य के लिए अधिगृहीत भूमि आदि के संबंध में कुछ गलत और भ्रामक तथ्य दिए हैं। इस प्रकार, जानबूझकर, अभिप्रायपूर्ण और विचारपूर्वक झूठे तथा गलत तथ्य देकर उन्होंने विशेष रूप से सदन की तथा विशेषतः सदस्यों की प्रतिष्ठा पद और गरिमा को कम किया है। इसलिए, उक्त सदस्य का कृत्य, सदन के पटल पर भी स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, जब श्री अभय सिंह चौटाला सदन में बोल रहे थे तो अन्य सदस्यों के प्रति उनका आचरण अनुचित तथा असंसदीय रहा ।"

यह मामला सदन द्वारा 21 फरवरी, 2023 को विशेषाधिकार समिति को भेजा गया था। समिति को अगले सत्र की पहली बैठक यानी 15 दिसंबर, 2023 तक सदन को एक रिपोर्ट बनाकर देनी थी। समिति ने दिनांक 19.07.2023, 03.10.2023 और 18.10.2023 को हुई अपनी बैठकों में इस मामले पर चर्चा की तथा क्रमशः दिनांक 02.08.2023, 18.10.2023 तथा 08.11.2023 को श्री जोगी राम, एम.एल.ए. और श्री अनूप धानक, एम.एल.ए. का मौखिक साक्ष्य लेने का निर्णय लिया गया। हालाँकि, माननीय सदस्य मौखिक साक्ष्य के लिए तीनों अवसरों पर समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। आगे समिति ने दिनांक 06.12.2023 को हुई अपनी बैठक में श्री जोगी राम, एम.एल.ए. और श्री अनूप धानक, एम.एल.ए. को मौखिक साक्ष्य के लिए दिनांक 27.12.2023 को समिति के समक्ष उपस्थित होने का अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया। चूंकि यह मुद्दा समिति के सक्रिय विचाराधीन है और विस्तृत जांच और अनिवार्य प्रक्रियात्मक पहलुओं का पालन करने की आवश्यकता है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि अंतिम रिपोर्ट बनाने के लिए समय दिया जाए, इसलिए, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए ।

9. <u>विधायी कार्य</u> ।(पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

(1)

1. हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2023.	एक मंत्री हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

राजेन्द्र कुमार नांदल
सचिव
हरियाणा विधान सभा

Chandigarh-160001
दिनांकः१४ दिसम्बर २०२३

HARYANA VIDHAN SABHA

14th Legislative Assembly

December Session 2023

List Of Business

15 December 2023

11:00 AM

1. OBITUARY REFERENCES.

(1) A MINISTER to make reference to the deaths of the late:-

1. Professor Chattar Singh Chauhan Ex. Speaker of Haryana Vidhan Sabha.
2. Dr. Ram Parkash former Minister of State, Haryana.
3. Martyrs of Haryana.
4. Others.

2. QUESTIONS.

(1) Questions entered in the separate list to be asked and answers given thereupon.

3. FIRST REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

(1)

(i)	THE SPEAKER	to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard of various business.
(ii)	A MEMBER OF THE COMMITTEE	to move that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

4. ZERO HOUR

5. OFFICIAL RESOLUTION.

(1) CHIEF MINISTER TO MOVE :-"Though Haryana came into existence on 1st November, 1966,

the sacred land of Haryana has been the centre of our history, tradition and culture since the pre-Vedic period. Haryana today is recognised as one of the foremost States in Bharat. The people of Haryana have always made several sacrifices in defending the nation and significantly contributed in nation building.

1. While Haryana has its own emblem, it does not have a State Song that represents its history and culture and embodies the virtues and contributions of its people. The State Song once adopted will provide a new proud identity to all Haryanvis irrespective of their caste, gender religion or economic status.
2. There are three options that are being placed before this august House for consideration. These options have been chosen through an elaborate process from amongst 204 entries submitted by the people of the State in response to public invitation through newspapers advertisements. I seek the support of this august House in making the final selection of the State Song which I hope will represent the collective will of this House and also the people of Haryana whom we all represent.
3. I place these three options for your consideration and seek your views on which of these three options can be adopted initially for a period of one year from today as the State Song of Haryana."

6. CALLING ATTENTION NOTICE

(1)

Calling Attention Notice No. 10 Notice given by 1. **Shri Varun Chaudhary, MLA** 2. **Shri Amit Sihag, MLA** 3. **Shri Aaftab Ahmed, MLA**	Regarding non-receipt of compensation for damage caused due to flood and waterlogging due to heavy rain in July, 2023.
Calling Attention Notice No. 24 Notice given by Shri Abhay Singh Chautala, MLA clubbed with admitted Calling Attention Notice No. 10 being similar/identical subject matter.	The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the calling attention notice no. 10.
Calling Attention Notice No. 54 Notice given by Shri Neeraj Sharma, MLA clubbed with admitted Calling Attention Notice No. 10 being similar/identical subject matter.	The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the calling attention notice no. 10.

7. PAPER TO BE LAID/RE-LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE THROUGH NeVA PORTAL.

(1)

A to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 6/GST-2, dated 1st March, 2023, MINISTER as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(2)

A to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 7/GST-2, dated 1st March, 2023, MINISTER as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(3)

A to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 8/GST-2, dated 1st March, 2023, MINISTER as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(4)

A to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 9/GST-2, dated 1st March, 2023, MINISTER as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(5)

A to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 10/GST-2, dated 24th April, MINISTER 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(6)

6. A to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 11/GST-2, dated 24th April, MINISTER 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(7)

A to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 12/GST-2, dated 24th April, MINISTER 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(8)

A to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 13/GST-2, dated 24th April, MINISTER 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(9)

A to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 14/GST-2, dated 24th April, MINISTER 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(10)

A to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 15/GST-2, dated 24th April, MINISTER 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(11)

A to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 16/GST-2, dated 9th May, 2023, MINISTER as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(12)

A to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 17/GST-2, dated 31st May, 2023, MINISTER as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(13)

A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 33/GST-2, dated 27th July, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(14)

A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 34/GST-2, dated 27th July, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(15)

A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 35/GST-2, dated 27th July, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(16)

A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 36/GST-2, dated 27th July, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(17)

A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 37/GST-2, dated 27th July, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(18)

A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 38/GST-2, dated 7th August, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(19)

A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 39/GST-2, dated 7th August, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(20)

A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 40/GST-2, dated 7th August, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(21)

A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 41/GST-2, dated 7th August, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(22)

A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 42/GST-2, dated 7th August, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(23)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 43/GST-2, dated 29th August, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(24)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 44/GST-2, dated 29th August, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(25)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 45/GST-2, dated 29th August, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(26)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 46/GST-2, dated 14th September, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(27)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 47/GST-2, dated 27th September, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(28)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 48/GST-2, dated 27th September, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(29)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 49/GST-2, dated 27th September, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(30)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 50/GST-2, dated 30th September, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(31)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 51/GST-2, dated 30th September, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(32)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 52/GST-2, dated 30th September, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(33)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 53/GST-2, dated 30th September, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(34)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 54/GST-2, dated 20th October, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(35)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 55/GST-2, dated 20th October, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(36)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 56/GST-2, dated 20th October, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(37)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 57/GST-2, dated 20th October, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(38)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 58/GST-2, dated 20th October, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(39)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 59/GST-2, dated 20th October, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(40)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 60/GST-2, dated 20th October, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(41)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 61/GST-2, dated 20th October, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(42)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 62/GST-2, dated 20th October, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(43)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 63/GST-2, dated 27th October, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(44)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 64/GST-2, dated 27th October, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(45)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 65/GST-2, dated 27th October, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(46)

A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 66/GST-2, dated 27th October, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(47)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 67/GST-2, dated 31st October, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(48)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 68/GST-2, dated 15th November, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(49)

A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 69/GST-2, dated 23rd November, 2023, as required under section 166 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(50)

A MINISTER to lay on the Table the Energy Department Notification /Regulation No. HERC/46/2019, 3rd Amendment/2023 dated 12th April, 2023 as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

(51)

A MINISTER to lay on the Table the Energy Department Notification /Regulation No. HERC/48/2020, 2nd Amendment/2023 dated 01st May, 2023 as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

(52)

A MINISTER to lay on the Table the Energy Department Notification /Regulation No. HERC/59/2023, dated 24th April, 2023 as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

(53)

A MINISTER to lay on the Table the 20th Annual Report of the Haryana Electricity Regulatory Commission, Panchkula for the year Financial Year 2020-21 & Financial Year 2021-22 as required under section 104(4) and 105(1) of the Electricity of Act, 2003.

(54)

A MINISTER to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Power Generation Corporation Limited for the Year 2021-22, as required under section 395 of Companies Act, 2003.

(55)

A MINISTER to lay on the Table the Annual Report of the Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University Hisar, for the year 2020-21, as required under section 39(3) of Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

(56)

A MINISTER to lay on the Table the Annual Report of Haryana Women Development Corporation Limited for the year 2018-2019, as required under section 395 (1) (b) of Companies Act, 2013

(57)

FINANCE MINISTER to lay on the Table the Finance Account (Volume-I&II) for the year 2022-2023 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

(58)

FINANCE MINISTER to lay on the Table the Appropriation Accounts for the year 2021-2022 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

8. PRESENTATION OF PRELIMINARY REPORT OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES REGARDING PRIVILEGE ISSUE AND EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF THE FINAL REPORT.

(1)

THE CHAIRPERSON, COMMITTEE OF PRIVILEGES

I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of Privilege given following notice dated 21st February, 2023 of by Shri Jogi Ram, MLA and Shri Anoop Dhanak, MLA against Shri Abhay Singh Chautala, MLA, that:-

"Shri Abhay Singh Chautala has brought certain wrong and misleading facts regarding the land acquired near/for the purpose of Hisar Airport, etc. Thus, by giving false and wrong facts, knowingly, intentially and deliberately. He has lowered the prestige, status and dignity of the House particularly and members specially. The act of the said member, therefore, clearly constitutes Breach of Privilege, that too on the Floor of House. Besides this, the conduct of Shri Abhay Singh Chautala towards other member(s) remained unwarranted and unparliamentary, while he was speaking in the House."

The matter was referred by the House to the Committee of Privileges on 21st February, 2023. The Committee was required to make a report to the House by the first sitting of the next Session i.e., on 15th December, 2023. The Committee has discussed the matter in its meetings held on 19.07.2023,

03.10.2023 & 18.10.2023 and decided to take the oral evidence of Shri Jogi Ram, MLA and Shri Anoop Dhanak, MLA on 02.08.2023, 18.10.2023 & 08.11.2023 respectively. However, the Hon'ble Members have not appeared before the Committee on all the three occasions for oral evidence. Further, the Committee in its meeting held on 06.12.2023 decided to give last opportunity to Shri Jogi Ram, MLA and Shri Anoop Dhanak, MLA to appear before the Committee on 27.12.2023 for oral evidence. As the issue is under active consideration of the Committee and needs detailed examination and mandatory procedural aspects to be followed therefore, the Committee recommends that the time for making the final report, therefore, I also beg to move that the time for presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next session.

9. LEGISLATIVE BUSINESS.(Bill to be introduced)

(1)

1.	The Haryana Settlement of Outstanding Dues (Amendment) Bill, 2023.	A MINISTER to introduce the Haryana Settlement of Outstanding Dues (Amendment) Bill.

Rajender Kumar Nandal
Secretary
HARYANA VIDHAN SABHA

Chandigarh-160001
Date:14/Dec/2023